न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 08/2018(आरसीएमएस संख्याः–2018/00081)

1. कालू पुत्र श्री कल्याण, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 1/1 बच्ची पत्नी स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/2 घासी पुत्र स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/3 रामखिलाडी पुत्र स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील– कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/4 हनुमान पुत्र स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/5 भागोती पुत्री स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/6 राधा पुत्री स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/7 राजन्ती पुत्री स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/8 शान्ति पुत्री स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
   - 1/9 मनभर पुत्री स्व0 श्री कालू, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नारायण पुत्र श्री कल्याण, जाति–गुर्जर, निवासी– ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा जिला–जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, कोटखावदा, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार, कोटखावदा दिनांक 03.07.2017)

उपस्थितः–
1. श्री लोकेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री नवल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक : 29.11.2019

ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा की आराजी खसरा संख्या कुल किता 12 रकबा 3.33 हे0 व कुल किता 5 रकबा 2.09 हे0 के खातेदार–काश्तकारों ने तहसीलदार, कोटखावदा के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर उनकी आराजी का आपसी सहमति से बंटवारानामा किये जाने हेतु इस्तदुआ की, जिसे दिनांक 03.07.2017 को स्वीकार कर पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दर्ज कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये है, जिससे व्यथीत होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्टस् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश शर्मा ने अपील प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट् (मृतक कालू) व रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 खातेदार काश्तकार है और दोनो सगे भाई है और संयुक्त काश्त की भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसमें से प्रत्येक जाव में 1/2–1/2 भाग पर काबिज काश्त है। दौराने राजस्व अभियान 2017 रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 के कारकुनान पटवारी हल्का कोटखावदा ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट् को बताया कि अभी राजस्व केम्प आयोजित किये जावेंगे तुम दोनो अपने–अपने हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करा लो तथा लगान भी अलग करवा लो। अपीलान्ट् रेस्पोडेन्ट् सं0 02 के वाक्य में आ गया तथा मुताबिक कब्जा विधिवत विभाजन बाबत् सहमति प्रदान की परन्तु रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व 02 ने मुताबिक कब्जा बंटवारा नहीं कर मनमाने तरीके से भूमि का बंटवारा कर दिया जो कि न्याय नियम समता एवं प्रकृति के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना नहीं कर अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने में भयंकर भूल की है इसलिये आज्ञा दिनांक 03.07.2017 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी मौके पर नहीं गये तथा ना ही मौका निरीक्षण किया। मात्र राजस्व केम्प में अपनी मनमर्जी से राजस्व रिकार्ड का बंटवारा कर दिया जो कतई विधि–विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 03.07.2017 निरस्त फरमाई जावे व पुनः बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के विद्वान् अभिभाषक श्री नवल शर्मा ने कथन किया कि अपील अपीलान्ट् स्वीकार किये जाने में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 को कोई ऐतराज नहीं है। अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक द्वारा वरवक्त बहस किये गये कथन से रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के विद्वान् अभिभाषक श्री नवल शर्मा ने सहमति जाहिर की है और अपील स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की है। तकनिकी आधार पर पक्षकारों के मध्य कोई अनावश्यक मुकदमें बाजी न हो ऐसी स्थिति में हम यह न्यायोचित समझते है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 03.07.2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे। अतः उभय–पक्षों की सहमती होने से अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 03.07.2017 निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार, कोटखावदा को निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर दिया जाकर पुनः विधि–सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर